सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2014 / 00088 दर्ज तिथिः—28.02.2014

1. आंजणा युवा विकास संस्थान, गुड़ामालानी
   अध्यक्ष गुणेशाराम पुत्र वरजाराम जाति कलबी
   निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी
2. सचिव हरीराम पुत्र नगाराम जाति कलबी
   निवासी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत आलपुरा जरीये सरपंच
2. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्रा.पं. आलपुरा
3. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री गंगाराम चौधरी
प्रतिवादीगणः—श्री डालुराम चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा—188,209
राज0 काश्त0 अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—17.03.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा—188, के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215 / 11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित हैं। वादी द्वारा उक्त आराजी जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद की है। वक्त खरीद से वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं वादी की खातेदारी आराजी के चारों तरफ पक्की दीवार बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की आबादी भूमि खसरा संख्या 222 अवस्थित हैं। प्रतिवादीगण वादी की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:43 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी भूमि की पुरानी दीवार को तोडकर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा करना चाहते है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः—
   - कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी में कोई दखलअंदाजी नहीं की जा रही है। असल में वादीगण ग्राम पंचायत की आराजी खसरा संख्या 222 किस्म गैर मुमकिन आबादी पर कब्जा करना चाहते है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की आराजी खसरा संख्या 222 किस्म गैर मुमकिन आबादी पर खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। उक्त खेल मैदान के निर्माण को रोकने हेतु वादी द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया गया है।
   - इस प्रकार वादी द्वारा यह दावा राजनैतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर झूठे व मनगढंत कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया। असल में ग्राम पंचायत की आराजी खसरा संख्या 222 किस्म गैर मुमकिन आबादी पर ही खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। अतः वादीगण द्वारा बिना वादहेतुक यह दावा प्रस्तुत किया गया।
   - कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत यह दावा विधि द्वारा वर्जित है। वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—80 के तहत सरकारी संस्था ग्राम पंचायत को बिना नोटिस दिये हस्तगत वाद दायर किया है। जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम—1994 की धारा—109 के तहत सरकारी संस्था को दो माह का नोटिस देना आवश्यक कानूनी बाध्यता है। उक्त कानूनी बाध्यता की पालना नहीं होने पर दावा विधि द्वारा वर्जित है।
   - कि असल में वादीगण ग्राम पंचायत की आराजी खसरा संख्या 222 किस्म गैर मुमकिन आबादी पर कब्जा करना चाहते है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की आराजी खसरा संख्या 222 किस्म गैर मुमकिन आबादी पर खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। प्रकरण में गैर मुमकिन आबादी पर राजस्व अदालत को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण दावा वादी विधि द्वारा वर्जित है। अतः उक्त आधारों पर वादी का दावा खारिज किया जावे।

3. तत्पश्चात प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात पत्रावली वादी साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:43 IST
Reason: SelfAttested

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी. डब्ल्यू.—1	छोगाराम पुत्र रत्नाराम जाति कलबी	ग्राम आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
पी. डब्ल्यू.—2	रामाराम पुत्र जेठाराम जाति कलबी	ग्राम आलपुरा तहसील गुड़ामालानी

4. प्रकरण में पी. डब्ल्यू.—1 छोगाराम पुत्र रत्नाराम जाति कलबी, पी. डब्ल्यू.—2 रामाराम पुत्र जेठाराम जाति कलबी ने बतौर साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किए कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित हैं। वादी द्वारा उक्त आराजी जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद की है। वक्त खरीद से वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं वादी की खातेदारी आराजी के चारों तरफ पक्की दीवार बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की आबादी भूमि खसरा संख्या 222 अवस्थित हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि की पुरानी दीवार को तोडकर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा करना चाहते है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

5. प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादी की विवादित आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादवर्णित अनुतोष मुताबिक स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।

6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:43 IST
Reason: SelfAttested

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

8. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में वादी का अभिकथन है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित हैं। वादी द्वारा उक्त आराजी जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद की है। वक्त खरीद से वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं वादी की खातेदारी आराजी के चारों तरफ पक्की दीवार बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की आबादी भूमि खसरा संख्या 222 अवस्थित हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि की पुरानी दीवार को तोड़कर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। इस संबंध में प्रदर्श—01 जमाबंदी मौजा आलपुरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी वादीगण की खातेदारी आराजी है। इस प्रकार प्रदर्श—01 जमाबंदी मौजा आलपुरा के अनुसार स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी पर वादीगण का वैद्य स्वामित्व है। उल्लेखनीय है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज इंद्राज के आधार पर खातेदार का ही खातेदार की अपनी खातेदारी आराजी पर स्वतः प्रमाणित कब्जा माना जाता है। इस आधार पर स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी पर वादीगण का वैद्य स्वामित्व व कब्जा है। इस संबंध में प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति है कि वादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी पर वादीगण का ही वैद्य स्वामित्व व कब्जा है। साथ ही इस संबंध में पी. डब्ल्यू.—1 छोगाराम पुत्र रत्नाराम जाति कलबी, पी. डब्ल्यू.—2 रामाराम पुत्र जेठाराम जाति कलबी ने बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुतनाजा आराजी पर वादीगण का ही वैद्य स्वामित्व व कब्जा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:43 IST
Reason: SelfAttested

9. प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु का संपूर्ण निर्णयन करने हेतु मौका रिपोर्ट तहसीलदार गुडामालानी से तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2025/81 दिनांक 09.01.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी की दिनांक 07.07.2022 को नेखमबंदी की जा चुकी है। साथ ही वादीगण की खातेदारी आराजी के चारों तरफ पक्की दीवार की हुई है। इससे भी स्पष्ट होता है कि मुतनाजा आराजी पर वादीगण का ही वैद्य स्वामित्व व कब्जा है।

10. अब प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु उल्लेखित परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:43 IST
Reason: SelfAttested

	/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

11. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। इस प्रकार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है। वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:43 IST
Reason: SelfAttested

की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है। उक्त आधारों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी कि चारदीवारी को नहीं तोडने, कोई निर्माणकार्य नहीं करने, किसी प्रकार का हस्तक्षेप, बाधा नहीं करने व नहीं कराने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 17.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:43 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2014 / 00088 दर्ज तिथिः—28.02.2014

1. आंजणा युवा विकास संस्थान, गुड़ामालानी
   अध्यक्ष गुणेशाराम पुत्र वरजाराम जाति कलबी
   निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी
2. सचिव हरीराम पुत्र नगाराम जाति कलबी
   निवासी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत आलपुरा जरीये सरपंच
2. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्रा.पं. आलपुरा
3. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री गंगाराम चौधरी
प्रतिवादीगणः—श्री डालुराम चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा—188,209
राज0 काश्त0 अधि0—1955

—ःपर्चा डिक्रीः—

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 215/11 रकबा 12 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी कि चारदीवारी को नहीं तोडने, कोई निर्माणकार्य नहीं करने, किसी प्रकार का हस्तक्षेप, बाधा नहीं करने व

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:43 IST
Reason: SelfAttested

नहीं कराने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:43 IST
Reason: SelfAttested